मध्यप्रदेश शासन
राजस्व विभाग
वल्लभ भवन, मंत्रालय, 462004

क्रमांक- 3/17/00576/2025/VII/SEC-4 (REV) भोपाल, दिनांक 30/07/2025

प्रति,

कलेक्टर्स (समस्त)
मध्यप्रदेश।

विषयः राजस्व अधिकारियों द्वारा अधिकारिता से परे जाकर आवेदन पत्रों को स्वीकार कर आदेश जारी किया जाना।

संदर्भः माननीय उच्चतम न्यायालय, जबलपुर में प्रचलित रिट याचिका क्रमांक 8583/2022 में पारित निर्णय दिनांक 17 अगस्त, 2022 के पालन के संबंध में।

माननीय उच्चतम न्यायालय, जबलपुर में प्रचलित रिट याचिका क्रमांक 8583/2022 में दिनांक 17 अगस्त, 2022 को निर्णय पारित किया है। (निर्णय की प्रति संलग्न)

2/ माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 17 अगस्त, 2022 का अंतिम पैरा निम्नानुसार हैं:-

"It is apt to mention here that, it is not a notice issued to the petitioners, but it indicates as to how the Government authorities are functioning now-adays and without knowing about their jurisdiction, powers and authority, they are unnecessarily creating pressure upon the public that too at the instance of landlord or other persons who are interested to get their premises vacated. It is not the first occasion when this type of exercise is being done by the revenue authority with the help of the police officers, but earlier also this type of conduct of the revenue authority was deprecated by the Court. Therefore, the Registry is directed to forward a copy of this order to the Chief Secretary of the State of Madhya Pradesh and also to the Principal Secretary, Revenue Department so as to take appropriate action against the concerning Tahsildar, who at the relevant point of time was posted at Tahsail Gopad Banas and issued the impugned letter dated 28.03.2022. In turn, the authority concerned, may take cognizance of the matter and initiate appropriate disciplinary proceeding against the concerning Tahsildar asking him as to under which authority, he issued the impugned letter."

3/ इस प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय ने सीधी जिले के तहसीलदार गोपद बनास द्वारा एक दुकान के किराये के विषय में आवेदन स्वीकार किया जाकर किराएदार को दुकान खाली कराये जाने का आदेश जारी किया गया है तथा थाना प्रभारी को उचित कार्यवाही की सूचना दी गई। स्पष्ट है कि तहसीलदार का आदेश अधिकारिता विहीन एवं अनावश्यक है। तहसीलदार के इस प्रकार के आदेश को माननीय न्यायालय द्वारा न केवल अनुचित माना बल्कि तहसीलदार के आदेश को निरस्त करते हुए तहसीलदार के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के निर्देश दिए गये हैं।

अतः समस्त जिले के समस्त राजस्व अधिकारियों को आवश्यक हिदायतें जारी करें एवं राजस्व अधिकारी वैठक में इस विषय पर चर्चा कर समस्त राजस्व अधिकारियों को इस संबंध में सतर्क करें कि राजस्व अधिकारी कोई भी आवेदन विचारण हेतु ग्राह्य करने से पूर्व क्षेत्राधिकार को परीक्षण अवश्य करे तथा कोई भी सूचना पत्र या आदेश जारी करते समय उस सूचना पत्र या आदेश में संबंधित अधिनियम, नियम, निर्देश के संबंधित प्रावधान हों, उन्हें नोटिस या आदेश जारी करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है, उसका उल्लेख अनिवार्य रूप से करे।

(विवेक कुमार पोरवाल)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
भोपाल, दिनांक 30/07/2025

पृ.क्रमांक- 3/17/00576/2025/VII/SEC-4 (REV)
प्रतिलिपिः

समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

Scanned with OKEN Scanner